भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1636

13 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना

1636. डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्तमान में इस्पात क्षेत्र को समर्पित उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) 1.0 योजना के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 4 बिलियन अमरीकी डॉलर के प्रस्तावित निवेश में से केवल एक तिहाई लगभग 1.3 बिलियन अमरीकी डालर का ही अब तक वास्तविक निवेश किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन कंपनियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है जिन्हें इस योजना के लिए चुना गया था लेकिन उन्होंने पीएलआई 1.0 संविदाओं पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ कंपनियां उच्च पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं, कतिपय उत्पादों के लिए बाजार व्यवहार्यता की कमी अथवा तकनीकी विशेषज्ञता में कमी जैसी विभिन्न चुनौतियों के कारण पीछे हट गई हैं; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में तक क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) और (ख): सरकार द्वारा विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए 29531 करोड़ रुपए [80 रुपए प्रति यूएस डॉलर की दर से ~3.6 बिलियन यूएस डॉलर] के कुल प्रतिबद्ध निवेश की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही तक वास्तविक निवेश 10,730 करोड़ रुपए [80 रुपये प्रति यूएस डॉलर की दर से ~1.34 बिलियन यूएस डॉलर] है। वित्त वर्ष 2023-24 में सितंबर 2023 अर्थात दूसरी तिमाही में विशेष इस्पात हेतु पीएलआई योजना का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है:

'योजना' के अंतर्गत कुल प्रतिबद्ध निवेश (करोड़ रुपए)	वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही तक वास्तविक निवेश (करोड़ रुपए)	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिबद्ध उत्पादन (000 टन)	वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही तक वास्तविक उत्पादन (000 टन)	वास्तविक प्रोत्साहन परिव्यय (करोड़ रुपए)	वास्तविक प्रोत्साहन संवितरित (करोड़ रुपए)
29531	10730	935	शून्य	6332	शून्य*

*(वित्त वर्ष 2024-25 के बाद से प्रोत्साहन का संवितरण किया जाना है)

(ग) से (ड.): पीएलआई के आवेदकों के समक्ष आ रही चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) इस्पात मंत्रालय ने परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) अर्थात मेकॉन लिमिटेड के साथ समस्याओं को समझने तथा उनके समाधान के उद्देश्य से आमने-सामने चर्चा के लिए आवेदकों से संपर्क किया है।

(ii) पीएलआई योजना के किसी भी चरण पर इसके कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली शिकायतों/समस्याओं के साथ-साथ चुनौतियों और चिंताओं का समाधान करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र का गठन किया गया है।

(iii) परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) को वृहत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की निगरानी करने के अधिदेश के साथ गठित किया गया था, योजनावधि के दौरान पीएलआई अनुमोदित कंपनियों के समक्ष आ रही भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी, वन मंजूरी आदि जैसी समस्याओं को अपलोड करने के लिए इसका विस्तार किया गया है। विशेषज्ञों के लिए वीजा की सुविधा हेतु गृह मंत्रालय (एमएचए) और विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है।

*****